हिमाचल प्रदेश सरकार

निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन हिमाचल प्रदेश शिमला–171 002

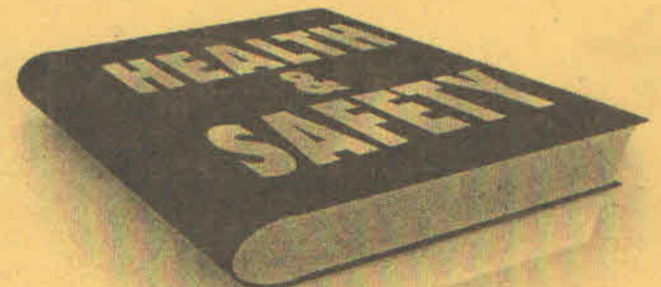

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2019–20

निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश शिमला–171 002

अनुक्रमणी

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	01
2.	कर्मचारियों की स्थिति	01-04
3.	हिमाचल प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना	05-09
4.	हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन सोसाईटी	09-10
5.	औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945	10-11
6.	खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006	11-13
7.	संयुक्त जांच प्रयोगशाला (सी0टी0एल0) कण्डाघाट	13-14
8.	गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994.	14-16
9.	सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन, व्यापार और वाणिज्य) अधिनियम, 2003 व उसके तहत दिनांक 30–5–2008 को बनाए गए नियम को लागू करना।	16-17
10.	हिमाचल प्रदेश क्लीनिकल स्थापना पंजीकरण अधिनियम, 2010	17-18
11.	निजी स्वास्थ्य संस्थानों का एम्पैनलमैंट	18
12.	विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995.	18-19
13.	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994	19
14.	परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962.	19-20
15.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	20-21

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2019–20
निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश शिमला–171 002

1. परिचय :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या हैल्थ–ए–बी (12)1/2002, दिनांक 1 जून, 2009 के अनुसार एक अलग स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय बनाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में विभिन्न अधिनियमों/नियमों को कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। वर्तमान में यह निदेशालय निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों का कार्य संचालन कर रहा है:–

1. कर्मचारी राज्य बीमा योजना
2. औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945
3. खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006
4. संयुक्त जांच प्रयोगशाला (सी0टी0एल0) कण्डाघाट
5. गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
6. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन, व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, 2003 व उसके तहत दिनांक 30–5–2008 को बनाए गए नियम को लागू करना)।
7. हिमाचल प्रदेश क्लीनिकल स्थापना पंजीकरण अधिनियम
8. निजी स्वास्थ्य संस्थानों का एम्पैनलमैंट
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम, 1988
10. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995
11. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
12. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और विकिरण संरक्षण नियम, 1971

2. **कर्मचारियों की स्थिति.**—निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवम् विनियमन में श्रेणीवार कर्मचारियों की स्थिति वर्ष 2019–20 दिनांक 20–03–2020 तक निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	निदेशक	1	1	—	—
2.	ओ.एस.डी.	2	1	1	एक ओ.एस.डी के पद पर राज्य औषधि नियंत्रक को नियुक्त किया गया है।
3.	विकिरण सुरक्षा अधिकारी।	1	1	—	यह पद अतिरिक्त कार्यभार से भरा गया है। यह पद निदेशालय मेडिकल ऐजुकेशन (डी. एम. ई.) में सृजित था तथा गलती से इस निदेशालय के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया था। लेकिन अब यह पद आई.जी.एम.सी. में भर लिया गया है इसलिए डी.एच.एस. आर. ने इस पद के सृजन हेतु प्रस्ताव को सरकार को भेजा है।
4.	सहायक औषधि नियंत्रक।	1	1	—	—
5.	विधि अधिकारी	1	1	—	—
6.	सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)।	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6
7.	अधीक्षक श्रेणी-II	2	2	—	—
8.	वरिष्ठ सहायक	2	2	—	—
9.	लिपिक / कनिष्ठ सहायक।	5	5	—	—
10.	चालक	1	0	1	—
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।	5	5	—	तीन पद पर स्थाई कर्मचारी हैं, दो पद पर आऊटसोर्स कर्मचारी हैं ।

औषधि नियंत्रक, बद्दी के कार्यालय में पदों व कर्मचारियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	औषधि नियंत्रक	1	1	-
2.	उप–औषधि नियंत्रक	1	1	-
3.	सहायक औषधि नियंत्रक	2	2	-
4.	औषधि निरीक्षक	12	6	6
5.	अधीक्षक Grade-II	1	1	-
6.	वरिष्ठ सहायक	3	3	-
7.	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	6	4	2
8.	सेवादार	1	1	-

राज्य में सहायक औषधि नियन्त्रकों की संस्थानवार सूची निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन।	1	1	-
2.	मण्डी	1	1	-
3.	धर्मशाला	1	1	-
4.	नाहन	1	1	-
5.	बद्दी	2	2	-
	योग..	6	6	-

राज्य में औषधि निरीक्षकों की संस्थानवार सूची निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	जिले का नाम	संस्थान का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	शिमला	शिमला	2	1	1
		रोहड़ू	1	—	1
2.	सोलन	सोलन	2	2	—
		अर्की	1	—	1
		परवाणु	1	—	1
3.	बद्दी	बद्दी	12	6	6
4.	मण्डी	मण्डी	2	1	1
		सरकाघाट	1	1	—
		सुन्दरनगर	1	1	—
5.	बिलासपुर	बिलासपुर	2	1	1
		घुमारवीं	1	1	—
6.	हमीरपुर	हमीरपुर	1	1	—
		नादौन	1	—	1
7.	कांगड़ा	धर्मशाला	1	1	—
		देहरा	1	—	1
		नूरपुर	1	1	—
		कांगड़ा	1	—	1
		संसारपुर टैरेस	1	—	1
		पालमपुर	1	1	—
8.	ऊना	ऊना	2	2	—
		अम्ब	1	—	1
9.	कुल्लू	कुल्लू	1	1	—
10.	चम्बा	चम्बा	1	1	—
11.	सिरमौर	नाहन	2	2	—
		पांवटा साहिब	2	1	1
12.	किन्नौर	किन्नौर	1	1	—
	योग ..		44	26	18

राज्य में सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) की संस्थानवार सूची निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	जिले का नाम	नियुक्ति का स्थान	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	सोलन	सोलन	1	1	—
2.	ऊना	ऊना	1	1	—
3.	शिमला	शिमला	1	1	—
4.	कांगड़ा	कांगड़ा	1	1	—
5.	कुल्लू/लाहौल–स्पीति	कुल्लू	1	1	—
6.	सिरमौर	सिरमौर	1	1	—
7.	हमीरपुर	हमीरपुर	1	1	—
8.	चम्बा	चम्बा	1	1	—
9.	किन्नौर	किन्नौर	1	1	—
10.	मण्डी	मण्डी	1	1	—
11.	बिलासपुर	बिलासपुर	1	1	—
12.	निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन	निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन।	1	1	—
	कुल ..		12	12	—

राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संस्थानवार सूची निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	जिले का नाम	नियुक्ति का स्थान	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	1	1	—
2.	चम्बा	चम्बा	1	1	—
3.	हमीरपुर	हमीरपुर	1	1	—
4.	कांगड़ा	कांगड़ा (धर्मशाला)	4	1	3
5.	किन्नौर	किन्नौर	1	1	—
6.	कुल्लू और लाहौल–स्पीति	कुल्लू	2	1	1
7.	मण्डी	मण्डी	3	1	2
8.	शिमला	शिमला	3	2	1
9.	सिरमौर	सिरमौर (नाहन)	2	—	2
10.	सोलन	सोलन	3	1	2
11.	ऊना	ऊना	1	1	—
	कुल ..		22	11	11

3. हिमाचल प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना :

कार्य का ब्यौरा :

कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और सामाजिक नीति के आधार पर जोखिम को कवर करने का एक तरीका है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 58 के तहत किए गए समझौते और प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना जून 1977 के दौरान शुरू की गई थी और बीमाकृत व्यक्तियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के माध्यम से चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है।

कवरेज :

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (12) के तहत, यह अधिनियम, 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले कारखानों पर लागू होता है चाहे विनिर्माण की प्रक्रिया में बिजली का उपयोग किया जाए या नहीं। अधिनियम की धारा 1 (5) के अनुसार उक्त योजना को 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सिनेमाघरों, थियेटरों, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों और समाचार पत्र प्रतिष्ठानों व सिनेमाघरों तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, इस योजना को कुछ राज्यों ने 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली निजी चिकित्सा और शैक्षिक संस्थानों तक बढ़ा दिया गया है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कवरेज के लिए मौजूदा मजदूरी सीमा 21,000/– प्रति माह है।

योगदान :

कर्मचारी राज्य बीमा योजना बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके नियोक्ता द्वारा किए जा रहे योगदान पर आधारित है। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948, कारखानों व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों पर लागू होता है, तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाभ के लिए कर्मचारी द्वारा वेतन का 1.75 अंशदान किया जाता है तथा उसके नियोक्ता द्वारा वेतन का 4.75 अंशदान किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए सोसाईटी :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स्वास्थ्य–ए– (5) 1/04 दिनांक 05–08–2009 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रदेश में ESI Society के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। उक्त सोसाईटी, सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दिनांक 30–11–2009 द्वारा पंजीकृत की गई थी व सोसाईटी ने दिनांक 01–04–2010 में काम करना शुरू कर दिया है।

स्वास्थ्य विभाग में बीमित व्यक्तियों और सेवाओं को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए समाज की आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्स किया जाता है। नियमित आधार पर स्वीकृत पोस्ट और आऊटसोर्स कर्मचारियों को आगे दर्शाया गया है ।

हिमाचल में कर्मचारी राज्य बीमा संस्थान :

31–03–2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 3,40,500 बीमाकृत व्यक्ति पंजीकृत है, जिन्हें निम्न अस्पताल/औषधालयों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा प्रदान की जा रही है–

अनुक्रमांक	जिला	अस्पताल/औषधालय
1.	सोलन	ई0एस0आई0 अस्पताल परवाणू
2.		सी0एच0सी0 दाड़लाघाट
3.		पी0एच0सी0 कसौली
4.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी बद्दी
5.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी बरोटीवाला
6.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी नालागढ़
7.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी जाबली
8.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी चंबाघाट
9.	ऊना	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी मेहतपुर
10.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी टाहलीवाल
11.		ई0एस0आई0 अस्पताल गगरेट
12.	सिरमौर	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी एमसीएम पटिलियन (पांवटा साहिब)
13.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी गोंदपुर (पांवटा साहिब)
14.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी काला अंब
15.	शिमला	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी शिमला
16.		ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी शोघी
17.	कांगड़ा	पी0एच0सी0 संसारपुर टैरेस
18.	बिलासपुर	पी0एच0सी0 पंजगाई

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ई0एस0आई0 अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में ओ0पी0डी0 वार विवरण निम्न प्रकार से है :—

अनुक्रमांक	ई0एस0आई0 संस्थान का नाम	ई0एस0आई0	गैर ई0एस0आई0	कुल
1.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी काला अंब, जिला सिरमौर।	33958	18	34003
2.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी एमसीएम पतलियां, जिला सिरमौर।	25423	—	25423
3.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी गोंदपुर, जिला सिरमौर।	22862	—	22862
4.	ई0एस0आई0 अस्पताल गगरेट, जिला ऊना।	2073	53000	55073
5.	ई0एस0आई0 अस्पताल परवाणु, जिला सोलन।	76813	55761	132574
6.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी शिमला, जिला शिमला।	7663	—	7663
7.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी शोघी, जिला शिमला।	333	40151	40484

अनुक्रमांक	ई0एस0आई0 संस्थान का नाम	ई0एस0आई0	गैर ई0एस0आई0	कुल
8.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी टाहलीवाल, जिला ऊना।	19789	—	19789
9.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी बरोटीवाला, जिला सोलन।	44602	4180	48782
10.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी दाड़लाघाट, जिला सोलन।	1198	27129	28327
11.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी बद्दी (भुड), जिला सोलन।	45565	4511	50076
12.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी नालागढ़, जिला सोलन।	39711	94	39805
13.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी कसौली, जिला सोलन।	1186	6972	8158
14.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी चंबाघाट, जिला सोलन।	10476	15430	25906
15.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी जाबली, जिला सोलन।	8150	6879	15029
16.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी मेहतपुर, जिला ऊना।	24330	583	24913
17.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी पंजगाई, जिला बिलासपुर।	2016	27655	29671
18.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी संसारपुर टेरेस, जिला कांगड़ा।	2733	8621	11354
	कुल योग ..	**368908**	**250984**	**619892**

माध्यमिक देखभाल के लिए एम्पैन्लमैंट अस्पताल.—राज्य में ई0एस0आई0 अधिनियम के अन्तर्गत अस्पताल/सीएचसी/पीएचसी के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए बीमित व्यक्तियों को माध्यमिक देखभाल प्रदान करने के लिए निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया है जिसके अतंर्गत प्रदेश के अन्दर 17 अस्पतालों को मान्यता दी गई है और प्रदेश से बाहर 30 अस्पतलाओं को मान्यता दी गई है। एम्पैन्लमैंट किए गए स्वास्थ्य संस्थानों की सूची वेबसाईट http://www.hp.gov/in/dhsrhp पर उपलब्ध है।

राज्य बीमा संस्थान की समेकित स्टाफ स्थिति 31–03–2020 तक निम्न प्रकार से है :

अनुक्रमांक	श्रेणियों का नाम	स्वीकृति पोस्ट	स्थिति में	रिक्त	रिक्त विवरण
1.	सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) अधिकारी।	1	1	—	
2.	चिकित्सा अधिकारी	40	35	5	दाड़लाघाट 1 पंजगाई 2 एमसीएम 1 परवाणु 1.
3.	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी।	—	1		Secondment Basis
4.	दंत चिकित्सा अधिकारी	7	7	—	
5.	दंत स्वास्थिक	4	3	1	गगरेट

अनुक्रमांक	श्रेणियों का नाम	स्वीकृति पोस्ट	स्थिति में	रिक्त	रिक्त विवरण
6.	परिचारिका	24	22	2	शोघी 1, पंजगाई 1
7.	वार्ड नर्स	4	3	1	गगरेट 1
8.	डीएसएन	3	—	3	परवाणु 3
9.	एफएचडब्ल्यू / एएनएम	16	10	6	बद्दी, परवाणु, पंजगाई, दाड़लाघाट, शिमला, मैहतपुर।
10.	एफ एच एस	4	4	—	
11.	एम एच एस	3	2	1	दाड़लाघाट
12.	एम एच डब्ल्यू	2	—	2	दाड़लाघाट, पंजगाई
13.	प्रयोगशाला तकनीशियन	7	4	3	बद्दी, एमसीएम, गगरेट
14.	प्रयोगशाला सहायक	2	2	—	
15.	फार्मासिस्ट	28	21	7	बद्दी 1, कसौली 1, काला अंब 2, शिमला 2, गोंदपुर 1.
16.	मुख्य फार्मासिस्ट	2	1	1	परवाणु
17.	रेडियोग्राफर	5	3	2	गगरेट 2
18.	चालक	5	2	3	गगरेट 1, दाड़लाघाट 1 पंजगाई 1
19.	लिपिक	14	6	8	शिमला 1, टाहलीवाल 1, गगरेट 2, गोदपुर 1, काला अम्ब 1, पंचगाई 2.
20.	वरिष्ठ सहायक	1	1	—	
21.	रसोईया	1	—	1	गगरेट
22.	शल्य चिकित्सा सहायक	2	—	2	पंजगाई, गगरेट
23.	चतुर्थ श्रेणी	48	22	27	संसारपुर टैरेस 1, परवाणू 5, गगरेट 17, टाहलीवाल 1, जाबली 1, शोघी 1, पंचगाई 1 (सरप्लस नालागढ़)।
24.	सफाई कर्मचारी	21	10	11	बद्दी 2, नालागढ़ 1, पंजगाई 2, टाहलीवाल 1, काला अम्ब 1, संसारपुर टैरेस 1, चंबाघाट।
25.	दाई	4	4	—	
26.	स्ट्रेचर बॉय	2	—	2	परवाणू
27.	वार्ड बॉय	1	—	1	शिमला
28.	चौकीदार	1	—	1	शिमला
29.	माली / चौकीदार	1	—	1	गगरेट
30.	नेत्र ophthalmic	3	2	1	गगरेट
31.	स्वास्थ्य शिक्षक	1	1	—	—
32.	दंत मैकेनिक	3	2	1	टाहलीवाल
33.	दंत सहायक	1	1	—	—
34.	ड्रेसर	2	—	2	गोदपुर
	कुल योग ..	263	170	95	**एक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी परवाणू में secondment पर है और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नालागढ़ में सरप्लस है।**

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों में कार्यरत आऊटसोर्स की जनशक्ति स्थिति 31–03–20 तक निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक	प्रोग्रामर	जनशक्ति
1.	परिचारिका	21
2.	लैब तकनीशियन	11
3.	फार्मेसिस्ट	15
4.	कंप्यूटर ऑपरेटर	15
5.	डीईओ	34
6.	रसोईया	2
7.	ऑपरेशन थिएटर सहायक	2
8.	डार्क रूम सहायक	1
9.	सेवादार	8
10.	रेडियोग्राफर	1
11.	स्ट्रेचर बॉय	2
12.	प्रोग्रामर	1
	कुल योग ..	113

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान ई0एस0आई0सी0 द्वारा बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए मु0 49,46,44,983/– रुपये की राशि जारी की गई जिसके विरूद्ध बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं देने पर कुल 62,14,74,902/– रूपये का व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

अनुक्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20
1.	वेतन– नियमित कर्मचारी–14,21,21,040/ वेतन–आऊटसोर्स स्टाफ–2,11,86,040/–	16,33,07,080
2.	उपकरणों की खरीद	5,11,321
3.	फर्नीचर	13,22,733
4.	अन्य प्रशासनिक व्यय	1,95,40,222
5.	दवाओं की खरीद	16,13,63,917
6.	आईपी के ईलाज के लिए आईपी के एमआर दावा और सूचीबद्ध अस्पताल का भुगतान।	27,54,29,629
	कुल योग ..	62,14,74,902

4. हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमय सोसाईटी :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य एच0एफ0डब्ल्यू–बी0(एफ)1–1/2008–(लूज़) के अन्तर्गत हि0 प्र0 स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमय सोसाईटी का संचालन किया

जा रहा है। यह सोसाइटी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दिनांक 5–12–2012 को पंजीकृत की गयी है तथा उक्त सोसाइटी ने दिनांक 1–2–2013 से काम करना शुरू कर दिया है। यह सोसइटी स्वास्थ्य सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों के कार्यान्वयन को सुचारू रूप से चलाने हेतु बनाई गई है।

इस सोसइटी के अधीन राज्य मुख्यालय/ज़िला मुख्यालयों में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत व संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, कण्डाघाट में कर्मचारी आऊटसोर्सिंग पर रखे गये हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है : —

क्रम संख्या	पद नाम	संख्या
1.	प्रोग्रामर	02
2.	कम्प्युटर ओपरेटर (अकाऊंट्स)	01
3.	डाटा एंट्री ओपरेटर	49
4.	सफाई कर्मचारी	01
5.	फूड एनालिस्ट	02
6.	अटेंडेन्ट	02
7.	डाईवर	02
8.	सेवादार	11

5. वर्ष 2019–20 के दौरान औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945 के अन्तर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिकस) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945 भारत सरकार का अधिनियम है। इस अधिनियम से संबंधित प्रावधान को अमल में लाना प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है इसके अतिरिक्त निम्न अधिनियमों का परिपालन भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है।

1. **दवाओं की कीमत (नियंत्रण आदेश) 2013 (राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)**
2. **ड्रग्स एवं चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1948**

(क) हिमाचल प्रदेश में औषधि नियंत्रक का एक पद स्वीकृत है जो भरा हुआ है।

(ख) उप–औषधि नियंत्रक का एक पद स्वीकृत है जो भरा हुआ है।

(ग) हिमाचल प्रदेश में सहायक औषधि नियंत्रक के 6 पदों के विरुद्ध–1 डी०एच०एस०आर, 1 मण्डी, 1 कांगड़ा, 1 नाहन व 2 औषधि नियंत्रक कार्यालय बद्दी में कार्यरत हैं।

(घ) हिमाचल प्रदेश में औषधि निरीक्षक के 44 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 26 औषधि निरीक्षक– सी०एम०ओ० ऑफिस शिमला–1, सोलन–2, मण्डी–1, हमीरपुर–1, ऊना–2, कुल्लू–1, चम्बा–1, नाहन–2, औषधि नियंत्रक कार्यालय बद्दी–6, सी०एच० सुंदरनगर–1, सी०एच० नूरपुर–1, सी०एच० पालमपुर–1, सी०एच० पांवटा साहिब–1, सरकाघाट–1, धर्मशाला–1, बिलासपुर–1, बी०एम०ओ ऑफिस घुमारवीं–1, सी०एम०ओ० ऑफिस किन्नौर–1.

(ङ) इस वर्ष के दौरान 11 औषधि निरीक्षक के पद भरे गए।

प्रगति रिपोर्ट: वित्तीय वर्ष 2019–20 में की गई गतिविधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

राज्य में औषधि के लिए गए नमूनों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र०सं०	विवरण	संख्या
1.	लिए गए नमूनों की संख्या	2344
2.	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	1436

क्र0सं0	विवरण	संख्या
3.	उप–मानक नमूनों की संख्या	28
4.	नकली पाए गए नमूनों की संख्या	8
5.	अभियोजन पक्ष की संख्या	89
6.	निरीक्षण	
	क. बिक्री परिसर	3590
	ख. विनिर्माण परिसर	1006
7.	अदालत में लम्बित मामलों की कुल संख्या	511

वर्ष 2019–20 के दौरान दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के कार्यान्वयन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	विवरण	संख्या
1	जारी किये गए खुदरा लाईसेंस की संख्या : (फॉर्म 20 और 21):	386
2	थोक लाईसेंस की संख्या (फॉर्म 20बी और 21बी) :	273
3	जारी किये गए प्रतिबन्धित खुदरा लाईसेंस की संख्या :(फॉर्म 20ए और 21ए):	03
4	विनिर्माण की संख्या (फॉर्म 25 और 28) :	34
5	ऋण दवा निर्मित लाईसेंस की संख्या (फॉर्म 25ए और 28ए):	95
6.	ऋण दवा निर्मित लाईसेंस की संख्या (फॉर्म 25 ए और 28ए):	112
7.	दिए गए लाईसेंस को पुर्नस्थापित करने की संख्या (फॉर्म 25 बी):	00
	1. निलंबित / रद्द किए गए लाईसेंसों की संख्या (क) विनिर्माण परिसर : (अधिनियम के उल्लंघन के कारण) और 08 (स्वयं का अनुरोध)	21
	(ख) बिक्री परिसर :	51

6. खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 :

भारत वर्ष में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 एवम् नियम, 1955 के रिपील होने के उपरान्त दिनांक 5–8–2011 से खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 लागू किया गया है जिसमें 101 धाराएं (Sections) हैं तथा 2 अनुसूचियां (Schedules) हैं।

खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 :—

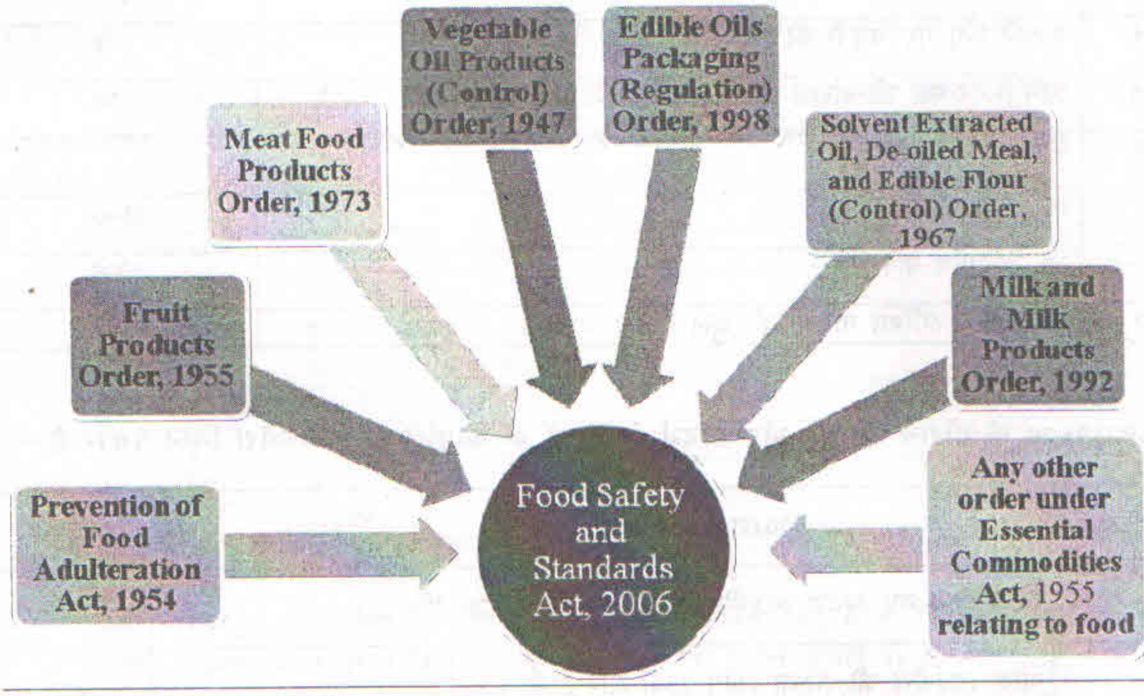

हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु ढांचा :—

Regulatory Enforcement in the State of H.P.

हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु पुराने ढांचे को नए ढांचे में परिवर्तित करने हेतु निम्नलिखित वांछित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं :—

1. अधिसूचना संख्याः HFW-B(A)2-1/82-III, dated 18—8—2011 द्वारा Principal Secretary (Health) to the Govt. of H.P. को Commissioner of Food Safety अधिसूचित किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या HFW-B(A)2-1/82-III, dated 18—8—2011 द्वारा Director Health Safety & Rgulation को Joint Commissioner (Food Safety), Himachal Pradesh अधिसूचित किया गया है।

3. अधिसूचना संख्याः HFW-B(A)2-1/82-III, dated 18-8-2011 द्वारा ADMs को Adjudicating Officer under Food Safety for Himachal Pradesh अधिसूचित किया गया है।

4. अधिसूचना संख्याः HFW-B(A)2-1/82-III, dated 18-8-2011 द्वारा सभी जिलों में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों को Food Safety Officer अधिसूचित कर दिया गया है।

5. अधिसूचना संख्याः Health-A-B(1)-9/2006-Loose, dated 03-11-2018 द्वारा Sh. Ripu Daman Kumar, Senior Scientist, CTL Kandaghat को Food Analyst अधिसूचित किया गया है।

संचालन.—प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवम् इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को प्रदेश में सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर पदाभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें उक्त अधिनियम को लागू करने एवं इसमें किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को समय–समय पर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त अधिनियम को प्रदेश में सूचारु रूप से चलाने के लिए खाद्य व्यापार संचालकों को भी जागरूक किया जाए ताकि फूड सेफ्टी सटैण्डर्ड एक्ट, 2006 को सूचारु रूप से लागू किया जा सके तथा ज्यादा से ज्यादा उन्हीं खाद्य वस्तुओं के नमूने भरे जाएं जिन में अपमिश्रित होने का अन्देशा हो, नमूने के अपमिश्रित पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध मामला न्यायालय में दायर किया जाए तथा उन्हें न्यायाल्य से कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की सिफारिश की जाए।

प्रदेश में खाद्य व्यापार संचालकों की सुविधा के लिए ऑनलाईन लाईसेंस तथा पंजीकरण सुविधा प्रारम्भ की गई है, जिससे की खाद्य व्यापारी सीधे ही खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की वैबसाईट www.fssai.gov.in पर जा कर लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1.	लिए गए नमूनों की संख्या	750
2.	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	675
3.	उप–मानक नमूनों की संख्या	65
4.	अदालत में लंबित मामलों की कुल संख्या	166
5.	वित्त वर्ष 2019–20 में कुल मामले launch किए गए	26

7. संयुक्त जांच प्रयोगशाला कण्डाघाट :

संयुक्त जांच प्रयोगशाला की स्थापना अलग–अलग अधिनियमों के तहत एकत्रित किए गए नमूनों का आंकलन करने के लिए किया गया है। इस प्रयोगशाला को विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी विभागों के खाद्य निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि निरीक्षक, आबकारी एवं कराधान विभाग, पुलिस विभाग, स्टेट सिविल स्पलाईज इत्यादि द्वारा एकत्रित किए गए नमूनों का आंकलन किया जाता है।

वर्ष 2019–20 में एकत्रित किए गए नमूनों व उनके आंकलन का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	प्राप्त नमूनों की संख्या	आंकलित नमूनों की संख्या	शेष नमूने
1.	9442	9298	254

संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, कण्डाघाट के कर्मचारियों की स्थिति निम्नलिखित है:–

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क्स
1.	पब्लिक ऐनालिस्ट–कम–कैमिकल एग्ज़ामिनर	1	0	1	–
2.	डिप्टी पब्लिक ऐनालिस्ट	1	0	1	–
3.	डिप्टी गवर्नमैंट ऐनालिस्ट	1	0	1	–
4.	वरिष्ठ वैज्ञानिक	5	5	0	(2 अनुबंध)
5.	कनिष्ठ वैज्ञानिक	4	4	0	(4 आऊटसोर्स)
6.	वरिष्ठ विश्लेषक	7	5	2	(4 आऊटसोर्स)
7.	कनिष्ठ विश्लेषक	6	6	0	(6 आऊटसोर्स)
8.	वरिष्ठ प्रयोगशाला टैक्निशियन	6	3	3	(1 आऊटसोर्स)
9.	अधीक्षक ग्रेड–2	1	0	1	–
10.	वरिष्ठ सहायक	5	3	2	–
11.	लिपिक	4	3	1	–
12.	चालक	1	1	0	–
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	5	0	(एक दैनिक आधार पर काम कर रहा है)
14.	चौकीदार	2	1	1	–
15.	सफाई कर्मचारी	3	2	1	(1 आऊटसोर्स)
16.	पैकर	1	0	1	–
	कुल ..	53	38	15	

8. गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवम् नियम के अन्तर्गत वर्श 2019–20 में किए गए कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

- राज्य में 31–03–2020 तक 315 अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक पंजीकृत हैं, जिन में से 102 सरकारी व 213 निजी क्लिनिक हैं।
- सरकार ने जिला स्वास्थ्य अधिकारियों एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को अल्ट्रासाऊंड क्लिनिकों की नियमित जांच करने के लिये प्राधिकृत किया है। हर पंजीकृत अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक की कम से कम तीन महीनों में एक जांच सुनिश्चित करना मुख्य चिकित्सा अधिकारी–सह–जिला उपयुक्त प्राधिकारी के लिये अनिवार्य है।

- राज्य स्तर पर राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड, समुचित प्राधिकारी व राज्य सलाहकार समितियां तथा जिला स्तर पर समुचित प्राधिकारी, जिला सलाहकार समितियां जिनकी बैठकें अधिनियम के अनुसार समय–समय पर की जा रही हैं।
- जिला एपरोप्रिएट एथोरिटी द्वारा वर्ष 2019-20 में 1037 अल्ट्रासाऊंड क्लिनिकों के निरीक्षण किये गये हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दूर करने हेतु अल्ट्रासाऊंड क्लिनिकों के मालिकों को उचित निर्देश भी दिए गए हैं।
- वर्ष 2019-20 में राज्य में 04 अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक का पंजीकरण रद्द एवम् 02 अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक का पंजीकरण निलम्बित किया गया।
- केन्द्र सरकार ने लिंगानुपात असमानता की गंभीरता को देखते हुए "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम जो कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है के अंतर्गत सभी जिलों में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कार्य किये जा रहे हैं।
- राज्य में इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बेटी को बढ़ावा देने हेतु दम्पत्ति को एक व दो लड़कियों के होने के उपरान्त नसबंदी/नलबंदी करवाने पर क्रमशः रुपये 35000/– व रुपये 25000/– की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

- कन्या भ्रूणहत्या की जांच करने वाले क्लिनिकों की सूचना देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले नकद पुरस्कार की राशि रुपये 10,000/– से बढ़ाकर रुपये 1,00,000/– कर दी गई है। ऐसे मुखबिरों की पहचान को गुप्त रखा जाता है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या Fin(c)A(3)-7/2003, dated 04-04-2012 द्वारा लिगांनुपात को सुधारने हेतु बेटी है अनमोल कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों को एक या दो बेटियों पर नसबन्दी/नलबन्दी करवाने पर दो विशेष वेतन वृद्धि का प्रावधान किया है।
- विभाग की वेबसाईट पर जिलावार अल्ट्रासाऊंड मशीनों की सूची समय–समय पर अद्यतन की जाती है। राज्य एवं जिला स्तर पर सरकारी व निजी क्लिनिकों के मालिकों को पी.सी. एवम् पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाने हेतु जागरूकता अभियान/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

- राज्य एवं जिला स्तर पर सरकारी व निजी क्लिनिकों के मालिकों को पी.सी. एवम् पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाने हेतु जागरूकता अभियान/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

9. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमः

- राज्य में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (National Tobacoo Central Programme) का कार्यान्वयन स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से किया जाता।
- धूम्रपान व तम्बाकू से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य ने तम्बाकू नियंत्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसके अतिरिक्त एंटी तम्बाकू जागरूकता व तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 (COTPA) हिमाचल प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
- COTPA कानून के तहत तंबाकू नियंत्रण के लिए राज्य ने राज्य व जिला स्तरीय समितियां अधिसूचित की हैं जो समय–समय पर इन कार्यक्रमों व कानूनों का विश्लेषण करते हैं।
- धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबन्ध) के प्रभावी कार्यान्वन को प्रदेश के सभी विभागों में सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारतवर्ष में सबसे सरल व प्रभारी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य, जिला व खण्ड स्तरीय उड़नदस्तों का गठन किया गया है।
- हर वर्ष 31 मई को राज्य, में "World No Tobacco Day" मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाकर तंबाकू के दुष्प्रभावों को कम करना है। इलैक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से IEC गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। प्रदेश भर के लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में पंचायत स्तर तक पोस्टरों, रेडियो पर विज्ञापन तथा नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक किया जा रहा है तथा समस्त सार्वजनिक संस्थानों के प्रभारियों को कानून के प्रावधानों के अनुसार धूम्रपान निषेध बोर्ड प्रदर्शित करने के आदेश जारी किए गए हैं और उल्लंघन करने पर कार्रवाई हेतु भी अधिकृत किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

इस स्थान पर धूम्रपान करना अपराध है।
उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।

- COTPA कि धारा 6 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध और समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रभारियों एवं प्रशासन शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
- सरकार द्वारा खुली बीड़ी और सिगरेट के विक्रय पर अधिसूचना पत्र संख्या 17880–7374/2015, दिनांक 04–11–2015 के अंतर्गत प्रतिबन्ध लगाया गया।
- शैक्षणिक संस्थानों व व्यवसायिक स्थानों के सूचनार्थ (शैक्षणिक संस्थानों की ओर 100 गज के दायरे में) तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है।

Reports of Violations of COTPA 2003 in HP (2017-18 to 2019-20) (three years) :

No. of violations reported for the financial years	Total Challans	Fine collected In Lacs
2017-18	36120	36.37
2018-19	56936	50.54
2019-20	48107	43.91

10. हिमाचल प्रदेश क्लीनिकल स्थापना (पंजीकरण व विनियमन) अधिनियम, 2010 :

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28–08–2012 के अंतर्गत क्लीनिकल स्थापना पंजीकरण व विनियमन अधिनियम, 2010 (2010 का 23) को राज्य में लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य में सरकारी व गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का अस्थाई रूप से पंजीकरण का कार्य केवल ऑनलाईन तरीके से ही किया जा रहा है।

प्रदेश में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दर्शाई गई सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक 12579 सरकारी व गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को अस्थाई रूप से पंजीकृत कर दिया गया है तथा कुल 1.38 लाख की राशि गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई है।

जिलावार 31–3–2020 तक पंजीकृत किए गए सरकारी व गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

Sl. No.	District	Allopathy	Ayurveda	Unani	Sidha	Homeopathy	Yoga	Naturopathy	Sowa-Rigpa	Total
1.	Bilaspur	361	171	3	1	12	7	4	0	559
2.	Chamba	353	143	1	1	12	4	8	0	522
3.	Hamirpur	830	562	27	0	108	4	15	1	1547
4.	Kangra	1528	1074	43	11	123	77	86	21	2963
5.	Kinnaur	114	110	0	0	4	3	1	1	233
6.	Kullu	435	208	18	7	16	16	9	2	711
7.	Lahaul & Spiti	68	13	0	0	0	0	0	6	87
8.	Mandi	861	500	6	1	20	10	5	1	1404

Sl. No.	District	Allopathy	Ayurveda	Unani	Sidha	Homeopathy	Yoga	Naturopathy	Sowa-Rigpa	Total
9.	Shimla	878	312	6	0	36	13	9	0	1254
10.	Sirmaur	577	349	10	0	13	3	2	0	954
11.	Solan	575	305	25	3	77	21	18	2	1026
12.	Una	663	448	109	20	56	15	17	0	1328
	Total ..	**7243**	**4195**	**248**	**44**	477	**173**	**174**	**34**	**12579**

11. निजी स्वास्थ्य संस्थानों के एम्पैनलमैंट बारे :

हिमाचल सरकार के कर्मचारियों/उनके आश्रितों व पैंशनरों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रदेश के अन्दर कुल 113 निजी अस्पतालों को तथा प्रदेश से बाहर कुल 137 निजी अस्पतालों को मान्यता दी गई है। सभी अस्पतालों के साथ करार किया गया है कि ये अस्पताल हिमाचल सरकार के कर्मचारियों/उनके आश्रितों व पैंशनरों का ईलाज अधिसूचना सख्याःएच0एफ0डब्ल्यू0बी0(एफ) 1–1–2008, दिनांक 21–06–2008 तथा अधिसूचना संख्या एच0एफ0डब्ल्यू0बी0(एफ) 8–1–2003 (आई/एन), दिनांक 13–02–2013 के द्वारा अनुमोदित की गई दिशा–निर्देशों पर इलाज करेंगे। वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 19,65,000/– की राशि निरीक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई जिसे सरकारी कोष में जमा करा दिया गया है। प्रदेश द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पतालों की सूची समय–समय पर निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड की जाती है जिसे http://www.hp.gov.in/dhsrhp/Emp_List%2022-06-2020pdf. पर देखा जा सकता है।

12. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995 :

- विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं की योजना बनाने में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय केन्द्र व राज्य दोनों में नोडल मंत्रालय के रूप में स्थापित है।
- चिकित्सा जिम्मेदारी घटक का कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश शिमला–9 इस अधिनियम के कार्यान्वयन का नोडल निदेशालय है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत विकलांगता की रोकथाम व इसके जल्द पता लगाने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तुरन्त हस्तक्षेप के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:–

(1) **प्राथमिक रोकथाम** : मां और बच्चे की देखभाल के उपाए एनआरएचएम द्वारा किए जा रहे हैं।

(2) **माध्यमिक रोकथाम** : प्रारम्भिक चरण में स्वास्थ्य संस्थानों में कुशल मानव बल (मैन पावर) को प्रतिनियुक्त करके व आधारभूत ढांचे को सृजित करके बीमारी की गति को रोकने व जटिलताओं की रोकथाम को सुनिश्चित किया जा रहा है।

(3) 0–12 वर्ष के बच्चों, जोकि कुल जनसंख्या का 25: है, की स्क्रीनिंग हर साल की जा रही है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उप–मण्डल स्तर व स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिल कर विकलांगता शिविरों का आयोजन करें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से जल्द से जल्द संदिग्ध मामलों का पता लगाएं तथा पता लगने पर उन्हें शीघ्रातिशीघ्र विशेषज्ञों के पास भिजवाना सुनिश्चित करें।

(4) जिला स्तर पर हर महीने के निर्धारित दिनों में विकलांगता प्रमाण–पत्र जारी किए जाते हैं।

(5) सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओ0पी0डी0 में विकलांग व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर देखें। अस्पतालों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप का निर्माण किया जाए और ऐसे व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में पहिया कुर्सियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

(6) विकलांग व्यक्तियों के जीवन सुधार हेतु कई प्रकार की सुविधाओं जैसे कि प्रोस्थैटिक कृत्रिम अंग, सुनने की मशीन, बोलने की चिकित्सा पद्धति और सुधारात्मक सर्जरी आदि की सिफारिश की जा रही है।

(7) इस बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों व गांव स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित किया जा रहा है।

(8) दुर्घटना उपरान्त पूर्ण रूप से विकलांग होने पर उस संस्थान के डाक्टर जहां रोगी उपचाराधीन है, की रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। यह मामला एस. सी., एस. टी., ओ. बी. सी. एवम् अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के समन्वय से सरकार को भेजा गया है व प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल करने का प्रावधान है। यह सिफारिश की गयी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेत प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थान इस तरह के प्रमाण–पत्र जारी करें, जिसमें चिकित्सक को स्पष्ट रूप से विकलांगता नजर आती हो जैसे कि किसी अंग का बिल्कुल काम न करना या अंगहीन होना इत्यादि।

(9) प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में विकलांग जन हेतु बाधा रहित रास्ता बनाने के लिए निर्देश दिये गए हैं और भवन निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये गये हैं।

13. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 :

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल निदेशालय है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत, राज्य स्तरीय देह दान समिति अधिसूचित की गई है। जिसके अध्यक्ष प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में एक नेत्र बैंक इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला में कार्यरत है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों मे एक–एक Eye Donation Center और RPGMC Tanda में Eye Bank स्थापित किया गया है। गत वर्ष इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला में Kidney Transplant शुरू हो गया है।

14. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 :

प्रदेश में एटॉमिक ऊर्जा अधिनियम के अन्तर्गत अमल में लाई गई उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार से है:–

(1) अभी तक जिला शिमला (शहर) व ग्रामीण, हमीरपुर (शहर) तथा जिला सोलन (शहर) के कुछ सरकारी व गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया है जिसमें कि नैदानिक विकिरण चिकित्सा विज्ञान की विस्तृत मशीनरी जैसे एक्सरे, सी–आर्म, सीटी स्कैन, मैमोग्राफी,

दन्त एक्सरे मशीनों के पंजीकरण हेतु कार्यवाही अमल में लाने बारे सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि उक्त कार्यवाही परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अनिवार्य है।

(2) भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् की अधिसूचना में इंगित प्रावधानों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश में स्थापित सभी सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में स्थापित एक्सरे, सी–आर्म, सीटी स्कैन, मैमोग्राफी, दन्त एक्सरे मशीनों की जांच सुचारू रूप से की जा रही है तथा जिन सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है उन्हें उक्त अधिनियम में निर्धारित मापदण्डों जैसे (Registration/License in e-LORA under AERB), TLD Badges, Lead Aprun, Thyroid Shield, Mobile Protective Barrier with lead glass, Warning Sign Symbol, Warning Red Light, Layour of X-Ray Room और Qualified Rediation Workers) के अनुसार कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश समय–समय पर जारी किए जा रहे हैं।

(3) इस निदेशालय द्वारा राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को समय–समय पर आदेश जारी किए गए हैं कि अपने–अपने जिले के सभी सरकारी व निजी संस्थानों जहां पर Radiation Related Equipments स्थापित हैं कि सूची इस निदेशालय को उपलब्ध करवाएं ताकि इस निदेशालय द्वारा उन संस्थानों में स्थापित मशीनों की गुणवत्ता का समय–समय पर निरीक्षण किया जा सके।

15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर0टी0आई0 एक्ट, 2005) :

सूचना का अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए एक अधिनियम प्रदान करना नागरिकों के लिए सार्वजनिक अधिकारियों के नियंत्रण में जानकारी सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का संविधान और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण से सम्बन्धित नागरिकों को जानकारी प्रत्येक राज्य या स्थानीय सरकारी एजेंसी के कामकाज में दायित्व एसआईसी गठित नियंत्रण संचालन और धन के अधिकतम उपयोग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है सरकार और उनकी एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार की जांच करें।

अपील अधिकारी व सूचना अधिकारी :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी काम कर रहे हैं:–

अपील अधिकारी : वर्तमान में निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा विनियमन, हि0प्र0 अपील अधिकारी हैं।

सूचना अधिकारी : वर्तमान में सहायक औषधि नियंत्रक, डी.एच.एस.आर. निदेशालय जन सूचना अधिकारी हैं तथा तीन सहायक औषधि नियंत्रक मण्डी (मण्डी, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति, बिलासपुर एवं हमीरपुर), सहायक औषधि नियंत्रक नाहन (सिरमौर, सोलन, शिमला एवं किन्नौर) सहायक औषधि नियंत्रक धर्मशाला (कांगड़ा, चम्बा एवं ऊना) और सहायक औषधि नियंत्रक ड्रग्स कंट्रोलर बद्दी में जन सूचना अधिकारी हैं।

प्रगति रिपोर्ट 2019–20.——वर्ष 2019–20 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभाग की प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1.	कुल प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की संख्या	64
	(क) आवेदक द्वारा	38
	(ख) स्थानांतरण द्वारा	26
2.	कुल आवेदनों का निपटारा	
	(क) जानकारी दी गई	43
	(ख) स्थानांतरीत की गई	18
	(ग) आवेदन अस्वीकार किया गया	3
3.	प्रार्थियों से प्राप्त राशि	रु0 1050/–
4.	सरकारी खजाने में जमा राशि	रु0 1050/–
5.	अपील के मामले	9

राजकीय मुद्रणालय, हि0प्र0, शिमला—1185–डी.एच.एस.आर. / 2020—28–12–2020—50 प्रतियां।